

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. रामप्रकाश पुत्र भंवरलाल

1. प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथ सोलंकी

2. जगदीश पुत्र भंवरलाल

निवासी-जैतारण तहसील-जैतारण

3. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल

जिला-ब्यावर राज०।

4. सुरेश पुत्र भंवरलाल

2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन

5. रामकन्याबाई पुत्री भंवरलाल

अधिकारी, जैतारण।

6. कान्ताबाई पुत्री भंवरलाल

7. निर्मलाबाई पुत्री भंवरलाल

जातियान- सिखवाल ब्राह्मण,

निवासीगण- गोपालद्वारा रोड़

जैतारण, तहसील- जैतारण,

जिला-ब्यावर राज., हाल

निवासी- फिल खाना बेगम

बाजार हैदराबाद।

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्याई

मु०न० :रा०वा० स०: 53-2018

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए

निर्णय व डिक्री दिनांक :- 27/12/2024

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री हरिओम पारीक, श्री चावण्डदान बारहठ, श्री तुलसाराम माली, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर राजस्थान की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 319 रकबा 9-07 बीघा किस्म बरानी दोयम की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	कान्ताबाई पुत्री भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	319/5	0.1891	बा०दो०	0.05
2.	जगदीश पुत्र भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	319	0.1892	बा०दो०	0.06
3.	निरमला पुत्री भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	319/6	0.1892	बा०दो०	0.06



उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 जैतारण (ब्यावर)

4.	प्रवीण सोलंकी पुत्र भागीरथ कौम माली सा.देह खातेदार	319/7	0.1892	बा0दो0	0.06
5.	राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार	319/2	0.1892	बा0दो0	0.06
6.	रामकन्याबाई पुत्री भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	319/4	0.1892	बा0दो0	0.06
7.	रामप्रकाश पुत्र भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	319/1	0.1892	बा0दो0	0.06
8.	सुरेश पुत्र भंवरलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार	319/3	0.1892	बा0दो0	0.06

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/12/2024 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।